



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12, 1938

No. 156]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2017

सं. 16/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 192(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, कूरियर आयात एवं निर्यात (क्लियरेंस) विनियम, 1998 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :-

- (1) इन विनियमों को कूरियर आयात एवं निर्यात (क्लियरेंस) संशोधन विनियम, 2017 कहा जाएगा।
- ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- कूरियर आयात एवं निर्यात (क्लियरेंस) विनियम, 1998, में उप-विनियम (3) में, पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“बशर्ते कि विदेश व्यापार नीति (2015-20) के अनुबंध 3ग में विनिर्दिष्ट वस्तुओं और अन्य वाणिज्यिक वस्तुओं, जो कि विनियम, 2 के उप-विनियम (2) के उपवाक्य (ड.) के अंतर्गत नहीं आती हैं, जहांकि खेप का मूल्य 25 हजार रुपये तक होता हो और ऐसा संव्यवहार विदेशी मुद्रा में होता हो, से संबंधित प्रविष्टि कूरियर शिपिंग बिल सीएसबी-V फॉर्म में की जानी होगी।”

[फा. सं. 450/04/2013-सीमा शुल्क-IV]

जुबेर रियाज, निदेशक (सीमा शुल्क)

नोट : प्रधान विनियम अधिसूचना सं. 87/98-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 09 नवम्बर, 1998, सा.का.नि. 662 (अ), दिनांक 09 नवम्बर, 1998 के तहत प्रकाशित किये गये थे और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 142/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 29 नवम्बर, 2016, सा.का.नि. 1099 (अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2016 के द्वारा संशोधन किया गया है।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March , 2017

**No. 16/2017-Customs (N.T.)**

**G.S.R. 192(E).**—In exercise of the powers conferred by section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations, further to amend the Courier Imports and Exports (Clearance) Regulations, 1998, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Courier Imports and Exports (Clearance) Amendment Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Courier Imports and Exports (Clearance) Regulations, 1998, in regulation 6, in the sub-regulation (3), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that for the goods specified in Appendix 3C of the Foreign Trade Policy (2015-20) and for other commercial goods, not covered under clause (e) of sub-regulation (2) of regulation 2, where value of the consignment is up to rupees twenty-five thousand and transaction in foreign exchange is involved, such entry shall be made in Form Courier Shipping Bill CSB-V."

[F. No. 450/4/2013-Cus IV]

ZUBAIR RIAZ, Director (Customs)

**Note :** The Principal regulations were published *vide* notification number 87/98-Cus. (N.T.), dated the 9th November, 1998 in the Gazette *vide* number G.S.R. 662(E). dated the 9th November, 1998 and last amended *vide* number 142/2016-Customs (N.T.) dated the 29th November, 2016, G.S.R. 1099(E), dated the 29th November, 2016.